



सत्यमेव जयते

(☎ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं./No. 7/6/2015/औ.सं एवं क./IR&W/390

दिसंबर/December 9, 2015

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : मुख्य लाभार्थी के सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने के संबंध में।

Sub : Inclusion of additional family members after the retirement of the prime beneficiary

विभाग में मुख्य लाभार्थी के सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने का अनुरोध करते हुए इकाइयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए।

Department received proposals from Units seeking inclusion of additional family members after the retirement of the prime beneficiary.

2. विभाग में इस मामले की जाँच की गई और सीएचएसएस नियमों के अधीन अन्य शर्तों को पूरा करने की शर्त पर केवल निम्नलिखित मामलों में सीएचएसएस नियमों में छूट देते हुए मुख्य लाभार्थी के सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है :

The issue has been examined in the Department and decided to allow addition of family members **after the retirement** of the prime beneficiary in relaxation of CHSS Rules, only in the following cases, subject to the fulfillment of other conditions under CHSS Rules :

- i) सेवानिवृत्त कर्मचारी का विवाह (पति/पत्नी के नाम को शामिल करना)
Marriage of the retired employee (requiring inclusion of spouse's name)
- ii) सेवानिवृत्ति के बाद शिशु का जन्म/गोद लेना
Birth/adoption of a child after retirement
- iii) माता-पिता का आश्रित बन जाना
Parents becoming dependents

